दिनांक 06.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः पुलिस अभिरक्षा से फरार एवं 12 वर्षो से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त इरफान जनपद नांदेड (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार।

दिनांक 05–09–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पुलिस अभिरक्षा से फरार एवं थाना मेडिकल, जनपद मेरठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 206/13 धारा 223/224 भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी इरफान को जनपद नांदेड (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

इरफान पुत्र अययूब निवासी ग्राम हर्रा थाना सरूरपुर, जनपद मेरठ।

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 05–09–2025 समयः 21.14 बजे, स्थान–दुकान मोहमदिया मस्जिद बाजेगांव थाना नांदेड ग्रामीण जनपद नांदेड (महाराष्ट्र)

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त जनपद नांदेड (महाराष्ट्र) में रहता है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री संजय कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अरूण कुमार निगम, हे0कां0 दीपक कुमार, हे0कां0 संजय सिंह एंव हे0कां0 अंकित श्योरान की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर दुकान मोहमदिया मस्जिद बाजेगांव थाना नांदेड ग्रामीण जनपद नांदेड (महाराष्ट्र) से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं:–</u>

- अभियुक्त इरफान का पडोसी जुल्फकार मिठाई पर लगाने वाले चांदी के बर्क बनाने का काम करता था तथा उसकी दुकान पर लडकियां भी काम करने के लिए आती–जाती थी। वर्ष 2006 में इरफान उसकी दुकान पर आने–जाने वाली लडकियों के साथ छेडछाड करता था, जिसे जुल्फकार ने ऐसा करने से मना किया तो इरफान ने जुल्फकार पर चाकू से गर्दन व शरीर पर हमला कर घायल कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी।
- जुल्फकार की पुत्री साजू उम्र करीब 13–14 वर्ष अपने पिता का को देखने आयी तो इरफान से चाकू से उसकी गर्दन काट कर हत्या कर दिया, जिसके सम्बन्ध में थाना सरूरपुर जनपद मेरठ पर अ0सं0 144/06 धारा 452/302/307 भादवि पंजीकृत कराया गया था।
- वर्ष 2006 में उक्त दोहरे हत्याकाण्ड के वांछित अभियुक्त इरफान को स्थानीय पुलिस द्वारा गिर0 कर जेल भेजा गया।
- वर्ष 2013 में गिर0 अभियुक्त इरफान के जिला कारागार में निरूद्ध के समय जिला कारागार मे गैंगवार हो गयी जिसमें इरफान घायल हो गया, जिसे बेहोशी की हालत में मेडिकल कालेज, मेरठ में भर्ती कराया गया था।
- मेडिकल कालेज मेरठ में भर्ती के उपरान्त दिनांक 25–04–2013 को फरार हो गया और परतापुर से ट्रक में लिप्ट लेकर दिल्ली पहुॅच गया और दिल्ली से ट्रेन पकडकर कर्नाटक पहुॅच गया।
- कर्नाटक में 4–5 दिन रहा लेकिन वहा कोई काम न मिलने के कारण वहां से मुम्बई चला गया। 10 दिन रूकने के बाद समस्तीपुर बिहार चला गया और समस्तीपुर बिहार मे अपने दादा हकीम हाजी डा0 महमूद मूदा के पास रहकर उनके साथ देशी दवाई बेचने का काम करने लगा तथा कुछ समय बाद अपना दवाखाना खोल लिया।
- समस्तीपुर बिहार से अपने दोस्तो के साथ घूमने के लिए शिरडी चला गया जहां पर नारियल पानी का काम करने वाले शेख मौहम्मद नामक व्यक्ति से

दोस्ती कर ली और उसकी लडकी प्रवीण बानो से दोस्ती कर लिया। शेख मौहम्मद द्वारा अपनी लडकी की शादी कही ओर तय कर दी गयी तो यह उसकी लडकी प्रवीण बानो को भगाकर धर्मपुर बिहार ले आया और उससे निकाह कर किराये का मकान लेकर रहने लगा।

- किराये का मकान मिलने में आई0डी0 की आवश्यकता पड रही थी तो यह अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली आया और दिल्ली में अपना अमन चौहान पुत्र गुडडू चौहान नि0 म0नं0 121/4 खजूरी बाग उत्तर पूर्वी दिल्ली व अपनी पत्नी का रूबी चौहान के नाम से आधार कार्ड बनवाकर वापस बिहार चला गया तथा लगभग 9 वर्षो तक वही रहकर देशी दवा बनाकर बेचता रहा।
- उसके बाद अपनी पत्नी व बच्चो को लेकर जनपद नांदेड (महाराष्ट्र) के ग्राम बाजेगांव पहुॅचा और यहा पर किराये की दुकान लेकर दवाखाना चला रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त इरफान को जनपद नांदेड (महाराष्ट्र) से ट्रॉजिट रिमाण्ड प्राप्त कर जनपद मेरठ लाया जा रहा है, जिसे समय से सम्बन्धित मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त इरफान का अपराधिक इतिहास</u>

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	144/2006	452/302/307 भादवि	सरूरपुर	मेरठ
2	167/2006	4/25 आर्म्स एक्ट	सरूरपुर	मेरठ
3	167/2013	223/224 भादवि	मैडिकल	मेरठ

<u>जनपद जौनपुर/थाना तेजीबाजार</u>

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉक: 06.09.2025 को थाना तेजीबाजार व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कंधी पुलिया सकरा तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सौरभ को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तेजीबाजार पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तेजीबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सौरभ निवासी हीरापुर थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 लाख 71 हजार 710 रूपये नगद**
- **01 ई–रिक्शा**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 05/06.09.2025 की रात्रि थाना रकाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीडब्लू तिराहा के पास बने खण्डहर से अभियुक्त 1–अशोक 2–मुकेश 3–दीपक 4–सुनील को गिरफ्तार किया गया। मौके से फरार अभियुक्त 5–मुकेश उर्फ चूचू पुलिस कार्यवाही में घायल हो गया, जिसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 लाख 71 हजार 710 रूपये नगद, 01 ई–रिक्शा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना रकाबगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश उर्फ चूचू के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अशोक निवासी नयाबांस थाना बरहन, आगरा।

2–मुकेश निवासी धुलियागंज माईथान थाना कोतवाली, आगरा।

3–दीपक निवासी दशरथ कुन्ज अर्जुन नगर थाना शाहगंज, आगरा।

4–सुनील निवासी दशरथ कुन्ज अर्जुन नगर थाना शाहगंज, आगरा।

5–मुकेश उर्फ चूचू निवासी तलैया काजीपाड़ा थाना रकाबगंज, आगरा।

बरामदगी

1–चोरी की 01 लाख 71 हजार 710 रूपये नगद।

2–01 ई–रिक्शा।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना रोहनिया

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 97 किलो 976 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **1480/–रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 05.09.2025 की रात्रि थाना रोहनिया व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 97 किलो 976 ग्राम अवैध गांजा, 01 चार पहिया वाहन, 1480/–रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय कुमार निवासी हथडिहा थाना दावथ, रोहतास बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 20 लाख रूपये (कीमत) के 97 किलो 976 ग्राम अवैध गांजा।

2—01 चार पहिया वाहन।

3—1480/—रूपये नगद।

4—01 मोबाइल फोन।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना क्रासिंग रिपब्लिक

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 दो पहिया वाहन**
- **04 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनॉकः 06.09.2025 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एबीएस तिराहा शाहबेरी क्रासिंग रोड़ से 05 अभियुक्तों 1—रोहन उर्फ राजेश उर्फ राजन 2—इरफान 3—अश्वनी 4—मेजर 5—अश्वनी पुत्र अशोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 दो पहिया वाहन, 04 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त रोहन उर्फ राजेश उर्फ राजन के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, जनपद मेरठ व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त इरफान के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त अश्वनी पुत्र अशोक के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 18 अभियोग व अभियुक्त मेजर के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–रोहन उर्फ राजेश उर्फ राजन निवासी कस्बा व थाना मुरादनगर, गाजियाबाद, हालपता–रेलवे कालोनी मण्डावली थाना मण्डावली, दिल्ली।

2–इरफान निवासी धीमरखेड़ा थाना आईटीआई जनपद उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

3–अश्वनी निवासी ममख्ता बिहार त्रिवेणी नगर नैनी, थाना नैनी, प्रयागराज।

4–मेजर निवासी रजापुर थाना सदर पानीपत जनपद पानीपत हरियाणा।

5–अश्वनी पुत्र अशोक निवासी नंदग्राम थाना नंदग्राम, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 15 दो पहिया वाहन।

2–04 फर्जी नम्बर प्लेट आदि।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना ललौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना ललौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अरूण उर्फ पप्पू 2–धर्मराज 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना मानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना मानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भुरउ उर्फ मुम्तियाज अली को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————